


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज

अनवान- सुरेन्द्र सिंह पुत्र हरवेल सिंह बनाम हरवेल सिंह पुत्र सोहन सिंह वगैरा

किरम मुकदमा 88,188, 92ए, 209 आस्टीएक्ट मुकदमा नम्बर ...73.../2016

तारीख हुकम जारी करने की	कार्यवाही गम इनाशिवल राज	हुकम तारीख व सामिल
24/12	<p>आज यह वाद पत्र जरिये बकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित पक्षकारों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 20.12.2016 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर </p> <p> 20/12 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त/अबकाश/मुख्यालय से बाहर पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 21/12/16 को पेश हो। </p>	
20/12/16	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त/अबकाश/मुख्यालय से बाहर पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 21/01/17 को पेश हो।</p>	
21/1/17	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त/अबकाश/मुख्यालय से बाहर पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 21/2/17 को पेश हो।</p>	
21/2/17	<p>पत्रावली पेश। बकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी के समक्ष वाद सामील प्राप्त नहीं। पुनः जलवाक समक्ष पेश होने पर जारी होगा पत्रावली दिनांक 11/4/2017 को पेश हो। शिवा</p>	
11/4/17	<p>पत्रावली पेश। बकील वादी उपस्थित। जलवाक समक्ष पेश नहीं किने पत्रावली की डिमांड ही जारी पत्रावली 13/2/17 को पेश हो। शि</p>	

9
17/19

विभागाध्यक्ष / प्रमुख / समीक्षा / 340
-1/1, अक्षा-2, अक्षा-2 कर शाखा
अक्षा-2/1, अक्षा-2 कर शाखा
एक अक्षा-2 एक कर शाखा
अक्षा-2 अक्षा-2 अक्षा-2 अक्षा-2
अक्षा-2 अक्षा-2 अक्षा-2 अक्षा-2
अक्षा-2 अक्षा-2 अक्षा-2 अक्षा-2
अक्षा-2 अक्षा-2 अक्षा-2 अक्षा-2
अक्षा-2 अक्षा-2 अक्षा-2 अक्षा-2

आदेश सुभाष चंद्र

Priganda
निदेशात्मक (D.A.S.)
अक्षा-2 अक्षा-2
की विभागाध्यक्ष

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज(

अनवान- सुरेन्द्र सिंह पुत्र हरवेल सिंह बनाम हरवेल सिंह पुत्र सोहन सिंह वगैरा

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बर/०५../2016

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही गय इनशियल जज	हुक्म तारीख व तामिल
24/10	<p>आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि चक 41 जी0बी0 का मु0न0 5 प0न0 199/432 का किला नम्बर 16, 17 कुल 0.304 हैक्टर व मु0न0 12 प0न0 199/433 का किला नम्बर 2, 4, 5, 11, का कुल 0.758 कुल 1.068 हैक्टर नहरी भूमि या उसके किसी हिस्सा को अन्य का रहन , विकय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने प्रार्थी के कब्जा काश्त में मदाखलत पैदा करने से बाज व ममून रहे व मौका एवं रिकार्ड की यथारिथति बनाये रखे।</p> <p>वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे विवादित रकबा चक 41 जी0बी0 का मु0न0 5 प0न0 199/432 का किला नम्बर 16, 17 कुल 0.304 हैक्टर व मु0न0 12 प0न0 199/433 का किला नम्बर 2, 4, 5, 11, का कुल 0.758 कुल 1.068 हैक्टर नहरी भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथारिथति आगामी आदेश तक बनाये रखे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.12.2016 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर</p>	
20/12/16	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश/मुखालय से बाहर पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 21.01/12 को पेश हो।</p>	

तामिल में जारी हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख अहम की जो इस हुक्म की तामिल में जारी किये

29.8.19 फरमावली फरमा वकील जार्ज
उपरो/ अजावली जंग की तल्लू हेड शरी.
A.D. से समक. जली बले के अडिस डिने
शे के हे समक तल्लुपान फरमा मही/ 2019.
कोर्ट पर अधिक शेषल डिमा लागू है
फरमा होने पर जारी हो/ फरमावली 150
17/9/2019 के फरमा है.

Piyanku

17.9.18

फरमावली फरमा वकील जार्ज उपरो
मही/ एर-2, एरक-2, आवाजे
लागाई गई लेकिन कोई उपस्थित
नहीं आया। अतः फरमावली अडिस
टाजरी व अडिस फेरवी से खारिज
की जाती है। फरमावली फेरलभुमा
होकर शरिक इपग है।

भोडभ पुनाया गपा

Piyanku
पियंकु कलनिवा (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर